न्यायालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया ।

UPAU01003045–2026 ; जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या : 808/2026

–

गौरव उर्फ छोटू उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी इमलिया थाना अजीतमल जिला औरैया ।

...अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ...अभियोगी

–

मुकदमा अपराध संख्या : 224/2026 ; धारा : 137(2),87,351(2) BNS

थाना : अजीतमल ; जिला : औरैया ।

जमानत आदेश

16–06–2026

अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्र सिंह की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना –पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 224/2026 धारा 137(2),87,351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू की ओर से इस जमानत प्रार्थना–पत्र में निम्न आधार उल्लिखित किये गए है कि "... प्रार्थी उपरोक्त अभियोग में निर्दोष है । अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि '...वादिनी ममता पत्नी भारत सिंह निवासी इमलिया की रहने वाली हूँ । दिनांक 20–05–2026 को समय करीब 04:00 बजे सुबह गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह, गुलशन पुत्र महेन्द्र सिंह ये व्यक्ति हमारी पुत्री राखी उम्र करीब 20 वर्ष को आज सुबह बहला–फुसला कर भगा ले गया है । ये व्यक्ति इमलिया का रहने वाला है । जब हम लोगो ने कहा तो वह व्यक्ति हम लोगो को मारने की धमकी देते है और बोलते है कि आपकी लड़की हमारे पास है तो आप लोग हमारा कुछ नही कर सकते है...।' उपरोक्त मुकदमे में वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 20–05–2026 समय करीब 04:00 बजे सुबह की दर्शायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का दिनांक 24–05–2026 समय 04:29 बजे दर्शाया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से 4 दिन बाद सोची समझी रणनीति के तहत प्रार्थी को फसाने की नीयत से लिखायी गयी है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी द्वारा पीड़िता की उम्र 20 वर्ष दर्शायी गयी है । इस आधार पर पीड़िता पूर्ण रूप से बालिग है । प्रथम

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.06.16 13:22:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण नही दर्शाया गया है । प्रार्थी व वादिनी की पुत्री के बीच आपस मेंप्रेम सम्बन्ध काफी समय से चल रहे है । इसी आधार पर पीड़िता अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के साथ में चली गयी थी और पीड़िता की आधारकार्ड में जो जन्मतिथि अंकित है इस आधार पर वादिनी की पुत्री पूर्ण रूप से बालिग है । उपरोक्त मुकदमे में पीड़िता के ब्यान धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में काफी विरोधाभाष है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार एवं असत्य है । प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है । प्रार्थी का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है । इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है । अभियुक्त प्रतिभू पर रिहा होकर प्रतिभू का दुरूपयोग नही करेगा तथा श्रीमान् जी द्वारा नीयत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आयेगा । अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान विचारण मुकदमा प्रतिभू पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे...।"

वादिनी–मुकदमा ममता देवी पत्नी भारत सिंह द्वारा गौरव व गुलशन पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासीगण अमिलिया अजीतमल जिला औरैया के विरूद्ध थाना अजीतमल जिला औरैया पर दिनांक 24–05–2026 को यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसमे यह उल्लेखित किया गया कि "... प्रार्थिनी ममता पत्नी भारत सिंह निवासी इमलिया की रहने वाली हूँ । अतः श्रीमान् जी दिनांक सुबह 04:00 बजे 20–05–2026 को गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह, गुलशन पुत्र महेन्द्र सिंह ये व्यक्ति हमारी पुत्री राखी उम्र 20 वर्ष को आज सुबह बहला फुसला कर भगा ले गया है । ये व्यक्ति इमलिया का रहने वाला है । जब हम लोगो ने कहा तो वह व्यक्ति हम लोगो को मारने की धमकी देते है और बोलते है कि आपकी लड़की हमारे पास है तो आप लोग हमारा कुछ नही कर सकते हो । अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि हमको उचित न्याय दिलाने की कृपा करे । आप की महान कृपा होगी ...।"

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा इस जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ पेश हुई केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट व थाना अजीतमल की आख्या व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान DGC (Criminal) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और यह कहा गया कि अभियुक्त ने पिछले छह वर्षो से शादी का झांसा देकर वादिनी का शारीरिक शोषण किया है और अब वादिनी से शादी करने से साफ मना कर दिया है ।

न्यायालय द्वारा पीड़िता के ब्यान धारा 180 व 183 BNSS व मेडिकल परीक्षण तथा मौखिक प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

पीड़िता द्वारा धारा 180 BNSS के बयानो में यह कहा कि "...मेरा नाम रखी है । मेरे पिता का नाम श्री भारत सिंह है । मैं ग्राम अमिलिया थाना अजीतमल की रहने वाली हूँ । मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष है । मेरी जाति जाटव है । मैंने कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण की है । मैं दिनांक 23–05–2026 को गौरव निवासी अमिलिया थाना अजीतमल के साथ चली गयी थी । मैं बस के द्वारा गौरव के साथ गाजियाबाद गयी थी और वहां पर हम लोग होटल में रहे और फिर 24–05–2026 को वहां से रात में बस के द्वारा वापस आ गये और 25–05–2026 को मैं थाने आयी हूँ । मैं गौरव को 6 वर्ष से जानती हूँ । उसी के साथ रहना चाहती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ । यही मेरा बयान है...।"

पीड़िता द्वारा धारा 183 BNSS के बयानो में यह कहा कि "...मेरा नाम राखी है । मेरी उम्र 20 साल है । मैंने पांचवी कक्षा तक पढ़ाई की है । उसके बाद पढ़ाई नही की है । दिनांक 23–05–2026 की सुबह 04:00 बजे मैं गौरव के साथ गाजियाबाद चली गयी । मैं गौरव से 6 साल से प्यार करती हूँ । मैं गौरव के साथ शादी करना चाहती हूँ । मुझे गौरव ने बहलाया फुसलाया नही मैं अपनी मर्जी से गौरव के साथ गयी थी । गौरव ने मेरे साथ कोई गलत काम नही किया है । मुझे अपने बुरे का समझ है । मुझे और कुछ नही कहना है । यही मेरा बयान है...।"

इस तरह से पीड़िता ने अपनी उम्र 20 साल बतायी यद्यपि अभियोजन की ओर से उसके प्राथमिक स्कूल के अंकतालिका व S.R. रजिस्टर की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसमे उसकी जन्मतिथि 06–05–2009 लिखी है जिसके आधार पर उसे नाबालिग होना बताया तो अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियोजन की तहरीर की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसमे पीड़िता की माता ने स्वयं अपनी पुत्री पीड़िता की उम्र 20 वर्ष लिखी है । केस डायरी में शामिल निवास प्रमाण –पत्र में पीड़िता की जन्मतिथि 06–05–2006 लिखी है जो सभासद द्वारा जारी किया गया है । आधारकार्ड में भी उसकी जन्मतिथि 06–05–2006 लिखी है । इन सभी प्रपत्रो में प्रथम दृष्टया पीड़िता घटना की तिथि पर बालिग प्रतीत होती है यद्यपि यह एक साक्ष्य का विषय है जो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जा सकेगा । पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में बलात्कार या यौन सम्बन्ध बनाये जाने की पुष्टि नही होती है तथा पीड़िता ने धारा 183 BNSS के बयानो में यह कहा है कि गौरव ने मेरे साथ कोई गलत काम नही किया है । अभियुक्त गौरव दिनांक 02–06–2026 से जेल में निरूद्ध है । थाना अजीतमल से प्राप्त आख्या से अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नही है ।

धारा 87 BNS के अनुसार जो कोई किसी लड़की को इस इरादे से किडनैप या अगवा करता है कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, किसी व्यक्ति से उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करने के लिए, या ताकि उसे ज़बरदस्ती या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे ज़बरदस्ती या बहकाया जाएगा, तो उसे दस साल तक की जेल हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में बताई गई क्रिमिनल धमकी या अधिकार का गलत इस्तेमाल करके या ज़बरदस्ती के किसी और तरीके से, किसी औरत को किसी जगह से जाने के लिए उकसाता है, इस इरादे से कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है या बहकाया जाएगा, वह भी ऊपर बताई गई सज़ा के लायक होगा । इसी प्रकार धारा 137(2) BNSS के अनुसार जो कोई भी भारत से या कानूनी गार्जियनशिप से किसी व्यक्ति को किडनैप करता है, उसे सात साल तक की जेल की सज़ा दी जाएगी, और जुर्माना भी देना होगा । इसी प्रकार धारा 351(2) बीएनएस यह प्रावधानित करती है कि :– जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनो से दंडित किया जाएगा ।

अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत् रखते हुए अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है, फलस्वरुप अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू का यह जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अभियुक्त गौरव उर्फ छोटू द्वारा मुबलिग 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये) का एक व्यक्तिगत् बन्ध–पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने व इन प्रतिभू–प्रपत्र की सत्यापन आख्या सही प्राप्त होने पर जिला कारागार इटावा से इस अभियोग मे रिहा किया जाए ।

दिनाँक : 16–06–2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {प्रभारी– जिला एवं सत्र न्यायाशीश, औरैया ।}

[I.D. : J.O. U.P.6484]

"जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 808/2026 'गौरव उर्फ छोटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ।"